



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3831]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2019/अग्रहायण 4, 1941

No. 3831]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2019/AGRAHAYANA 4, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2019

का.आ. 4262(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 444(अ) तारीख 12 जून, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

“ 17क लद्दाख एलए ”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर.टी-11028/05/2014-एम.वी.एल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. 444(अ) तारीख 12 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1486(अ) तारीख 9 जून, 2014 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2019

**S.O. 4262(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the then Ministry of Surface Transport number S.O.444(E), dated the 12<sup>th</sup> June, 1989, namely:-

1. In the Table to the said notification, after serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entities shall be inserted, namely:-

“17A. Ladakh LA”.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette

[F. No. RT-11028/05/2014-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section (3), Sub-section (ii) *vide* S.O.444(E), dated the 12<sup>th</sup> June, 1989 and was last amended *vide* S.O.1486(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2014.